भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 347

No. 425]

DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGARHAYANA 3, 1939

[N.C.T.D. No. 347

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2017

सं. 30 /2017- राज्य कर (दर)

सं. फा. 3 (44) /वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/744.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा सं0फा0 03(15) /वित/(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/381 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित, वित्त विभाग (राजस्व-1) में, दिल्ली सरकार की अधिसूचना सं0. 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) तालिका में, -

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

6876 DG/2017 (1)

- (क) मद (iii) में, कॉलम (3) में,"सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर" केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) मद (vi) में, कॉलम (3) में "किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ग) मद (iii) और (vi) में, कॉलम (5) में, मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्निलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः- "बशर्ते कि जहां सेवाओं की किसी सरकारी निकाय में आपूर्ति की जाती है, उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी निकाय द्वारा खरीदा जाना चाहिए था";
- (घ) मद (vii) के लिए कॉलम (3), (4) और (5) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(vii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के		बशर्ते कि जहां किसी सरकारी इकाई को
खण्ड (119) में परिभाषित कार्य संवीदा की समग्र आपूर्ति केंद्र		सेवाएं दी जाती हैं, उन्हें केंद्र सरकार, राज्य
सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक	2.5	सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय
सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई को प्रदान की गई	2.3	प्राधिकरण, जैसा कि मामला हो, द्वारा
है, जिसमें मुख्य रूप से धरती कार्य (जो कि कार्य संविदा के		सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी
मूल्य का 75% से अधिक गठन का होता है) शामिल है।		इकाई द्वारा प्राप्ति की जानी चाहिए ।
(viii) यथोचित बेस लाइन के किसी निकटस्थ बिंदु से 12 समुद्री		
मील से दूर के क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई		
एंड पी) से संबंधित अपतटीय काम संविदा के संबंध में दिल्ली	6	-
मालऔर सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में		
और संबंद्ध सेवाओं में परिभाषित कार्यसंविदा की समग्र आपूर्ति।		
(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) के अलावा		
अन्य निर्माण सेवाएं ।	9	-";

- (ख) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (ii) के लिए कॉलम (5) में "या" शब्द के लिए "और" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (vi) के लिए कॉलम (3) में और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) यात्री को ले जाने के लिए डिज़ाइन		बशर्ते कि व्यवसाय (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों
किए गए किसी भी मोटर वाहन द्वारा		को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने
यात्रियों का परिवहन जहां ईंधन की		के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) की समान
लागत को सेवा प्राप्तकर्ता से लिया जाता	2.5	लीक में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा
18		की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट
		टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है ।
		[कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]
	या	

6 -":

(घ) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(v) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक		बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग की गई वस्तुओं और
गैस का परिवहन	2.5	सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिटनहीं लिया
	2.5	गया है
		[कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]
		या
	6	-
(vi) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के अलावा माल परिवहन सेवाएं	9	-";

(इ) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(i) यात्रियों को ले जाने के लिए		बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग किए गए माल और
डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन		सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यापार की
को किराए पर लेना जहां ईंधन की		समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के
कीमत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए जाने हेतु	2.5	अतिरिक्त (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले
विचारण में शामिल किया गया है।		जानेया किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए
		किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) नहीं लिया गया है।
		[कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]
		या
	6	-".

(च) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(v) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे	
दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	माल की आपूर्ति पर लागू राज्य कर की दर का 65	
	प्रति शत ।	-
	नोट:- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या	
	उसके बाद लागू नहीं होगा।	
(vi) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), और (v) के	Q	_22.
अलावा वित्तीय और संबंधित सेवाएं	,	-,

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे	
पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	माल की आपूर्ति पर लागू राज्य कर की दर का 65	-

	प्रतिशत ।	
	नोट:- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या	
	उसके बाद लागू नहीं होगा।	
(vii) उपरोक्त(i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) के	माल में अधिकार (टाइटल) के स्थानान्तरण से जुड़े जैसे	
अतिरिक्त, ऑपरेटर के साथ या उसके बिना पट्टे	माल की आपूर्ति पर लागू होने वाले राज्य कर की	-";
पर या किराये की सेवाएं,	समान दर	

(ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

- (i) मद (i) में, उप-मद (ग) हेत्, निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 71 के तहत आने वाले सभी उत्पाद;";
- (ii) मद (i) में, उप-मद (घ) के पश्चात्, निम्निलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा:-"(घक) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों की छपाई, जिस पर2.5 प्रति शत या शून्य की दर से एसजीएसटी लगती है:";
- (iii) मद (i) में, उप-मद (इ.) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मदों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -
 - "(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 1 से 22 के तहत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;
 - (छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 23 के तहत आने वाले उत्पाद, सिवाए उक्त अध्याय की टैरिफ मद 23091000 के तहत आने वाली खुदरा ब्रिक्री हेतु रखे जाने वाला कुत्ते और बिल्ली का भोजन के;
 - (ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद 69010010 के तहत आने वाली मिट्टी ईंटों का निर्माण;";
- (iv) कॉलम (3) में मद (i) के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससेसंबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(iक) निम्नलिखित के संबंध में नौकरी के काम के माध्यम से सेवाएं-		
(क) छाते का निर्माण;	6	22.
(ख) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 6 प्रति शत की ट	र ि	- ',
से एसजीएसटी लगती है ।		

- (v) मद (ii) में उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-"(ग) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 2.5 या शून्य प्रति शत की दर से सीजीएसटी लगती है।";
- (vi) कॉलम (3) में मद (ii) के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात: -

(3)	(4)	(5)
"(iiक) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 6 प्रति शत की दर से		
एसजीएसटी लगती है,के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं पर किसी भी संव्यवहार	6	-";
या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं।		

(vii) मद (iii) में, कोष्ठकों आंकड़ो और शब्दों "और (ii)" के लिए कोष्ठक, आंकड़े और शब्द ", (iक), (ii) और (iiक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(झ) क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससेसंबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात: -

(3)	(4)	(5)
(i) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों के मुद्रण के माध्यम से सेवाएं [समाचार		
पत्रों, किताबें (ब्रेल पुस्तकें सहित), पत्रिकाओं (जर्नल्स) और पत्रिकाओं (पीरियोडिकल्स) सहित], जिन		
पर 6 प्रति शत या 2.5 प्रति शत या शून्य की दर से एसजीएसटी लगता है, जहां केवल प्रकाशक	6	-";
द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जाती है और मुद्रण हेतु प्रयोग किए गए कागज सहित भौतिक इनपुट		
प्रिंटर से संबंधित हैं।		

- (ii) पैराग्राफ 2 में, "मद (i) पर" शब्दों और अंकों हेतु, "मद (i) पर, मद (iv) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (v) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ))], मद (vi) [उप-मद (ग)]"को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) पैराग्राफ 4 में, खण्ड (viii) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(ix) "सरकारी प्राधिकरण" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-
 - (i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या
 - (ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो,और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।

- (x) "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-
- (i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या
- (ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो,और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार,संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।"।

यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd November, 2017

No. 31/2017-State Tax (Rate)

No. F. 3(44) Fin. (Rev.-I)/2017-18/DS-VI/744.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1) No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F 3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, (i) in the Table, -

- (a) against serial number 3, -
 - A. in item (iii), in column (3), for the words "Government, a local authority or a Governmental authority", the words "Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" shall be substituted;
 - B. in item (vi), in column (3), for the words "a local authority or a Governmental authority" the words "a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" shall be substituted;
 - C. in items (iii) and (vi), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:

 "Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by
 - "Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be";
 - D. for item (vii), in columns (3), (4) and (5)and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vii) Composite supply of works contract as defined in clause		Provided that where the services are
(119) of section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act,		supplied to a Government Entity, they
2017, involving predominantly earth work (that is, constituting		should have been procured by the said
more than 75 per cent. of the value of the works contract)	2.5	entity in relation to a work entrusted to it
provided to the Central Government, State Government, Union		by the Central Government, State
territory, local authority, a Governmental Authority or a		Government, Union territory or local
Government Entity.		authority, as the case may be
(viii) Composite supply of works contract as defined in clause		
(119) of section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act,		
2017 and associated services, in respect of offshore works	6	
contract relating to oil and gas exploration and production	0	-
(E&P) in the offshore area beyond 12 nautical miles from the		
nearest point of the appropriate base line.		
(ix) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi),	9	",
(vii) and (viii) above.	9	-";

- (b) against serial number 8, for item (ii), in column (5), for the word "or" the word "and" shall be substituted.
- (c) against serial number 8, for item (vi), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Transport of passengers by any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle), has not been taken. [Please refer to Explanation No. (iv)]
	Or	
	6	-";

(d) against serial number 9, for item (v), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)		(5)	
"(v) Transportation of natural gas through pipeline	as through 2.5 Provided that credit of input tax charged on goods a services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]		
	Or		
	6	-	
(vi) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above	9	-";	

(e) against serial number 10, for item (i), in columns (3), (4) and (5)and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(i) Renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle) has not been taken. [Please refer to Explanation No. (iv)]
	Or	
	6	_'',

(f) against serial number 15, for item (v), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(v)	65 per cent. of the rate of state tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title	
Leasing of	in goods.	
motor	Note:- Nothing contained in this entry shall apply on or after 1 st July, 2020.	
vehicles		
purchased		-
and leased		
prior to 1 st		
July 2017;		
(vi)		-";
Financial		,
and related		
services		
other than	9	
(i), (ii),		
(iii), (iv),		
and (v)		
above.		

(g) against serial number 17, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1st July 2017;	65 per cent. of the rate of state tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods. Note:- Nothing contained in this entry shall apply on or after 1 st July, 2020.	1
(vii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (iii), (iii), (v) and (vi) above.	Same rate of state tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	-";

(h) against serial number 26, in column (3), -

- (i) in item (i), for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: "(c) all products falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);";
- (ii) in item (i), after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: "(da) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @ 2.5per cent. or Nil;"
- (iii) in item (i), after sub-item (e), the following sub-items shall be inserted, namely: -"(f) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
 - (g) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975), except dog and cat food put up for retail sale falling under tariff item 23091000 of the said Chapter;
 - (h) manufacture of clay bricks falling under tariff item 69010010 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);";
- (iv) after item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Services by way of job work in relation to-		
(a) manufacture of umbrella;	6	,,,
(b) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @ 6per	U	- ;
cent.		

- (v) in item (ii), after sub-item (b), the following sub-item shall be inserted, namely: "(c) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @ 2.5 per cent. or Nil.";
- (vi) after item (ii), in columns (3), (4) and (5) in column (3) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)	Ī
"(iia) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @ 6 per	6	-";	
cent.			

- (vii) in item (iii), for the word, brackets and figures "and (ii)" the figures, brackets, letters and word ", (ia), (ii) and (iia)" shall be substituted;
- (i) against serial number 27, for item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto in, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
(i) Services by way of printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 [including newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals], which attract SGST @ 6 per cent. or 2.5per cent. or Nil, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.		-";

- (ii) in paragraph 2, for the words, brackets and figures "at item (i)", the words, brackets, figures and letters, "at item (i), item (iv) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (v) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (vi) [sub-item (c)]" shall be substituted;
- (iii) in paragraph 4, after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely: -
- "(ix) "Governmental Authority" means an authority or a board or any other body, -
 - (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
 - (ii) established by any Government,
 - with 90 per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.
- (x) "Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,
 - i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
 - ii) established by any Government,
 - with 90 per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.".

This notification shall come into force with effect from the 13th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt.Governor of National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)